प्रेषक,

संख्या–4937 /सोलह–प्रा०शि०–3–2010–

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ:दिनांक 21 सितम्बर,2010

विषय:– द्वितीय काउन्सिलिंग के पश्चात् रिक्त रह गयी सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के पत्र संख्या–5091/संप्रपप/ई0–2(का0उ0)/2010 दिनांक 13–9–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों व निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों में द्वितीय काउन्सिलिंग के पश्चात् रिक्त रह गयी सीटों को निम्न शर्तों के अधीन भरने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1– सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों में द्वितीय काउन्सिलिंग के पश्चात् रिक्त रह गयी सीटों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बेबसाइट पर डालेगी जिससे अभ्यर्थी उक्त संस्था में दाखिला ले सके।

2– रिक्त सीटों पर ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रवेश पारदर्शी प्रक्रिया से दिया जायेगा जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2010 क्वालीफाई किया है किन्तु उन्हें कहीं भी दाखिला नहीं मिल पाया है।

3– ऐसे अभ्यर्थियों को दाखिला लेते समय उक्त संस्था अभ्यर्थियों से इस आशय का Affadavit ले ले कि अभ्यर्थी ने कहीं और प्रवेश नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा मामला आता है कि अभ्यर्थी ने कहीं और प्रवेश पूर्व से ही ले लिया है तथा संस्था परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी को Debarr एवं संस्था के विरुद्व Derecognition की कार्यवाही की जायेगी।

4– प्रवेश की प्रकिया में आरक्षण नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5– प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2010 होगी।

सहायक निदेशक (प्रभारी)
[signature]
नि०ओ०
21/9/10

भवदीय,

/

(राम गणेश)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर।
2– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

[signature]

(रवीन्द्र नाथ सिंह)